© 2025 IJNRD | Volume 10, Issue 11, November 2025| ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

नई शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत @ 2047 चुनौतियाँ एवं अवसर

महाबीर सिंह शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र)
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर
ईमेल आईडी – mahabirsingh358@gmail.com
डॉ. रश्मि द्विवेदी
सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर
ईमेल आईडी – rashmidwevedi@nimsuniversity.org

शोध आलेख सार –

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरु हुआ था। कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों पर आधारित, 1968 में पहली बार एक महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। इसके बाद, अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों (भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने शिक्षा सम्बन्धी अपनी टिप्पणियाँ दीं। और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की संवैधानिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने पूरे देश के लिए एकसमान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया, जिसके तहत अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इस नीति को राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रीत्व में जारी किया गया था और इसमें 1992 में संशोधन किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र में एक नई शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था, जिसके बाद 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह माँगना शुरू किया था।

मूल शब्द – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020

भूमिका –

विकसित भारत–2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और आर्थिक नीतियों के माध्यम से वैश्विक व्यापार में प्रवेश को बढ़ाना महत्वपूर्ण है जिसमें राजनीतिक साझेदारी बनाना–चीन पर निर्भरता को कम करना, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाना और व्यापारिक निवेश को आसान बनाना–

छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही राजनीतिक, इच्छा शक्ति और संस्थागत सुधारों के माध्यम से शासन में दक्षता और पारदर्शिता लाना भी आवश्यक है। इससे चीन पर निर्भरता कम करने और व्यापार के नए अवसर पैदा करने के लिए अन्य देशों के साथ रणनीतिक आर्थिक कुटनीति और मुक्त व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसमें यु.के. जैसे देशो के साथ हरित प्रौद्योगिकी और सेवाओं से सहयोग को बढ़ाया दिया जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ डिजिटल व्यापार के अवसरों की तलाश की जाएगी। व्यापार–निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेड–टेप से रेड कार्पेट तक के सिंधातो को अपनाया जाएगा जिससे व्यवसायो के लिए अनुपालन कम हो और विकास को बढ़ावा मिले। इसके साथ–साथ छोटे मध्यम उद्योगो को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजारो तक उनकी पहुंच का विस्तार करना ताकि विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसमें नियमों एवं पक्रियाओ को सुव्यवस्थित करके शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना जो जवाबदेही को मजबूत करता है डिजिटल बुनियादी ढांचे और ए.आई जैसी तकनीक का उपयोग करके असंगठित क्षेत्र के कामगारो की आय में वृद्धि करना और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। देश के सभी नागरिको को सबका प्रयास के मंत्र के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना इससे ऐसी शैक्षिक प्रणाली पर बल दिया जाएगा जो सभी को स्वतंत्रता की भावना दे। समावेशी विकास को बढ़ावा दे और उन्हें अवसरों और चुनौतियो के लिए तैयार करे ताकि एक कुशल और सक्षम कार्यबल तैयार हो सके।

प्रमुख परिवर्तन –

इस नई नीति मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी और चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक सकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल और योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो इस समय 4.43% है, और एम. फिल. की डिग्री को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए तीन साल के स्नातक डिग्री के बाद दो साल स्नातकोत्तर करके पी.एच.डी. में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रोकने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते हैं किन्तु अब उनमें भी बदलाव किया गया है जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पाँचवीं कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात की गई है।

स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले पाँच साल में प्री–प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहाँ सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी वहीं अब तीन साल के प्री–प्राइमरी के बाद कक्षा एक शुरू हो जाऐगी। इसके बाद कक्षा 3–5 के तीन साल शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ। चौथा स्टेज (कक्षा 9 से 12 वीं तक का) 4 साल का होगा। पहले जहाँ 11 वीं कक्षा से विषय चुनने की आजादी थी वहीं अब 9 वीं कक्षा से रहेगी।

शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पाँचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें यह विचार को समाप्त करने की कोशिश की गई है जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च डिग्री के बीच में ही कोर्स छोड़ कर चले जाते हैं, ऐसे करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है और उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला बड़ा परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 27 अध्याय और 4 भागों में विभक्त है।

प्रमुख बातें –

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की कक्षा के लिए प्राथमिकता देने को भी सुझाव दिया गया है।

देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' नामक एक सकल नियामक की परिकल्पना की गई है।

शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था लेकिन अबकी बार 2020 में जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु –

पाठ्यक्रम ढाँचा – पुरानी 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 की नई संरचना लागू की गई है जो 3 से 18 साल तक के बच्चों को कवर करती है और इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी शामिल है।

प्रारंभिक शिक्षा – 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 'बाल वाटिका' जैसी प्री–प्राइमरी कक्षाएँ शुरू की गई हैं, जो खेल–आधारित और गतिविधि–आधारित सीखने पर जोर देती हैं। वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पर छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है।

शिक्षा का माध्यम – कक्षा 5 तक और अधिकतम कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होगी।

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता – 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए निपुण भारत अभियान शुरू किया गया है।

उच्च शिक्षा में सुधार –

भारतीय उच्च शिक्षा परिषद जैसे सकल नियामक की स्थापना का प्रस्ताव।

स्नातक डिग्री के लिए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट विकल्प है, जिससे छात्र पढ़ाई बीच में छोड़कर बाद में फिर से शुरू कर सकते हैं।

अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना से क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत और हस्तांतरणीय बनाया जाएगा।

एक ही समय में दो डिग्री कोर्स करने की सुविधा दी गई है।

तकनीकी और समग्र शिक्षा – शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण और समग्र प्रस्ताव – आधारित और अनुभवात्मक सीखने पर जोर दिया गया है।

अन्य बदलाव – मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

उद्देश्य और लक्ष्य –

बुनियादी साक्षरता – 2025 तक सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल करने में मदद करना।

नामांकन अनुपात – 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात (GER) हासिल करना।

छात्रों का समग्र मूल्यांकन – रिपोर्ट कार्ड अब समग्र होगे और केवल अंक आधारित होने के बजाय छात्र के कौशल और क्षमताओं को दर्शाएँगे।

बहुभाषावाद – मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देना और छात्रों को कोई अन्य भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।

अन्य सुधार

उच्च शिक्षा – उच्च शिक्षा के लिए एक सकल व्यापक निकाय स्थापित किया जाएगा।

तकनीक का उपयोग – शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

विकलांग छात्रों के लिए प्रावधान – विकलांग छात्रों को नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन दिए जाएंगे।

खेल आधारित शिक्षा – पहले फाउंडेशनल स्टेज (5 साल) में खेल और गतिविधि–आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा।

अनुभव आधारित शिक्षा – मिडिल और सेकेंडरी स्टेज (3+4 वर्ष) में विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान में अनुभवात्मक (प्रयोग–आधारित) शिक्षा शामिल होगी।

लचीलापन – छात्रों को अपनी पसंद के विषयों को चुनने की अनुमति दी जाएगी, जैसे भौतिकी के साथ फैशन या रसायन विज्ञान के साथ बेकरी।

नई शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ –

डिजिटल विभाजन – तकनीकी–सक्षम शिक्षण और मिश्रित शिक्षा पर जोर के बावजूद, ग्रामीण और निम्न आय वाले क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों तक पहुँच की कमी है।

बुनियादी ढाँचा – कई स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा जैसे कि स्वच्छ पेयजल, अलग शौचालय और कक्षाओं की कमी है।

शिक्षक प्रशिक्षण – नीति के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में बदलाव के लिए शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नए कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

वित्तपोषण – शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6% के लक्ष्य को पूरा करना एक चुनौती है और विभिन्न योजनाओं के तहत धन का वितरण असमान है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच – सामाजिक आर्थिक असमानताएँ शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

शिक्षको की कमी – नई शिक्षा नीति 2020 एक मुख्य चुनौती शिक्षको की कमी भी है। नई शिक्षण विधियों और तकनीकी को लागू करने के लिए पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की कमी एक प्रमुख बाधा है।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यान्वयन – ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कम संख्या के कारण नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

संसाधनों का अभाव – नई नीति में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आई.सी.टी. से सम्बंधित बुनियादी ढाँचे और शिक्षा केंद्रों के निर्माण की बात की गई है, लेकिन सभी क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता एक चुनौती है।

हितधारकों के बीच समन्वय – नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए केन्द्र राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशो और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच सामुकिक प्रयासो की आवश्यकता है, जो हमेशा संभव नहीं होता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह – समावेशी शिक्षा के मुख्य मुद्दों में से एक सामाजिक पूर्वाग्रह और शिक्षकों व अभिभावकों में नई नीति के प्रति जागरूकता का अभाव है।

समाधान –

डिजिटल पहुँच – डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने चाहिए।

बुनियादी ढाँचा विकास – स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे जैसे कि स्वच्छ पानी, शौचालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।

शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण – शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम और नई शिक्षण पद्धतियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

बढ़ा हुआ और समान वित्तपोषण – शिक्षा के लिए GDP के 6% लक्ष्य को प्राप्त करने और धन वितरण में असमानता को दूर करने के लिए पर्याप्त और समान वित्तपोषण सुनिश्चित करना।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना – सभी के लिए विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम को लागू करना।

निष्कर्ष – नई शिक्षा नीति का निष्कर्ष यह है कि यह शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, समग्र, लचीला और छात्र केंद्रित बनाने का एक दूरदर्शी प्रयास है जो 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने पर केंद्रित है। यह रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच और समस्या–समाधान कौशल को बढ़ावा देती है और यह भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों और अवसर शिक्षा प्रणाली को बदलने कौशल–आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और लचीला बनाने से जुड़े है। इसके लिए एक मजबूत आधार तैयार करने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

शिक्षा प्रणाली में बदलाव – ऑनलाइन और हाइब्रिड फॉर्मेट में सीखने के ज्यादा, आकर्षक और प्रभावी तरीकों पर बल दिया जाएगा। यह तकनीक पारंपरिक कक्षा शिक्षण को बेहतर बनाएगी।

समझ पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से टेस्ट लिए जाएँगे और छात्रों की प्रगति में मदद करने के लिए सीखने को तदनुसार ढालेगी।

कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना – कौशल आधारित शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक अभ्यास और वास्तविक दुनिया में उनके अनुप्रयोग के माध्यम से विकसित करती है। विशिष्ट कौशल उधारण के लिए पढ़ना, लिखना, बोलना और समग्र साक्षरता प्रगति बार–बार परिस्थिति जन्म प्रदर्शन और प्रदर्शन के माध्यम से सिखाए और विकसित किए जाते है।

कौशल आधारित शिक्षा शिक्षार्थी की योग्यता, लचीलापन और इसीलिए समग्र मूल्य सुनिश्चित करती है। नए कौशल को आत्मसात करती है, साथ ही रुचि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसकी पोर्टेबिलिटी की पहचान भी जागृत करती है।

एक विश्वव्यापी क्रान्ति ने लगभग हर कक्षा और कार्यस्थल को तकनीकी पर निर्भर बना दिया है, जिससे साक्षरता, नैतिक निर्णय लेने और इस क्षेत्र में स्पष्ट संचार का अत्यंत महत्व उजागर होता है। तकनीकी की सर्वव्यापकता 21वीं सदी में कौशल–आधारित शिक्षा के महत्व को समझाने में मदद करती है। यह छात्रों शिक्षकों को व्यवसायिक और नियोकताओ सभी के के लिए समान रूप से लाभकारी मानी जाती है।

कौशल आधारित शिक्षा का महत्व –

कौशल आधारित शिक्षा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में किया जाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है और किसी भी कार्यस्थल पर शिक्षार्थी की दक्षता के लिए सिद्ध लाभ प्रदान करती है। सीखने के लिए कौशल आधारित दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक उपयोग करने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है, जिससे लंबे समय में प्रतीक्षित लक्ष्य प्राप्त होते है, इन कौशलो को विकसित करने का अर्थ है। आत्मविश्वास बढ़ाना, नौकरी से संतुष्टि बढ़ाना और अनुकूलन क्षमता में सुधार करना।

नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना –

शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा ही मौलिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकेगा। समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और इसके द्वारा नवीन ज्ञान में वृद्धि की जाती है।

नवाचार एक नया विचार या नया व्यवहार अर्थात शिक्षा को सरल, उपयोगी, व्यावहारिक, रूचिकर, रचनात्मक, क्रियात्मक एवं प्रासंगिक बनाना नवाचार है आधुनिक युग में बच्चों के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा पद्धति में नवाचार की आवश्यकता है। तभी बच्चों में सकारात्मक विकास, नैतिक मूल्यों एवं आदर्शो का विकास संभव है। शिक्षा पद्धति में नवाचार शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं पढ़ने के तरीकों को परिवर्तन करके बच्चों को उनके कौशल एवं प्रतिभा से अवगत करा सकते हैं। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार के प्रयोग द्वारा परंपरागत शिक्षा पद्धति को वर्तमान् परिवेश के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और लचीला बनाना –

उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और लचीला बनाने पर बल दिया गया है ताकि इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। इससे समाज स्वराज, उन्नति और अग्रसर होगा। समावेशी शिक्षा पद्धतियों मुख्य रूप से विकलांग छात्रों को पहुँच और अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, ताकि एक ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार किया जा सके जहाँ सभी क्षमताओ, पृष्ठभूमियों और पहचानों वाले छात्रों का स्वागत, सम्मान और उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए समर्थन किया जाए।

चुनौतियाँ –

व्यापक कार्यान्वयन –

यह सुनिश्चित करना चुनौती है कि नीति का प्रभावी ढंग से और समान रूप से देश भर में कार्यान्वयन हो।

शिक्षक प्रशिक्षण –

शिक्षकों को नई शिक्षा विधियों और तकनीकों के लिए प्रशिक्षित करना, जिसमें निरंतर व्यावसायिक विकास शामिल है।

प्रौद्योगिकी तक पहुँच –

डिजिटल विभाजन को दूर करना और सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के पास आवश्यक प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुँच हो।

गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान –

अनुसंधान और नवाचार के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और धन सुनिश्चित करना, विशेष रूप से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से।

सामुदायिक भागीदारी –

शिक्षा को राष्ट्रीय मिशन के रूप में सफल बनाने के लिए समुदायों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को शामिल करना।

अवसर –

समग्र शिक्षा छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मकता शामिल हैं।

कौशल विकास –

छात्रों को कोचिंग और व्यावसायिक शिक्षा जैसी व्यावहारिक शिक्षा से लैस करना ताकि वे भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार हों।

लचीलापन –

उच्च शिक्षा के लिए लचीले बहु–विषयक पाठ्यक्रम और कई प्रवेश और निकास बिंदु प्रदान करना जो आजीवन सीखने की सुविधा प्रदान करता है।

डिजिटल शिक्षा –

प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों का उपयोग करके शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना।

समावेशिता –

दिव्यांगों और हाशिए पर पड़े समुदायों सहित सभी के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ और समान बनाना।

भाषा और संस्कृति –

मातृभाषा को बढ़ावा देना और साथ ही छात्रों के लिए प्राचीन भारतीय भाषाओं में शिक्षा का विकल्प भी उपलब्ध कराना।

विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य –

विकसित भारत @ 2047 का मुख्य लक्ष्य 2047 में भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और सुशासन शामिल हैं, जिसका मुख्य एक आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनना है। इसके तहत सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित बुनियादी ढाँचा और अनुकूल व्यावसायिक माहौल बनाने पर भी जोर दिया गया है।

मुख्य लक्ष्य –

– आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति – 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है।

– तेज आर्थिक वृद्धि उद्योग, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और 2047 तक अर्थव्यवस्था को लगभग $30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाना।

– बेहतर जीवन स्तर सभी नागरिकों को सम्मानजनक आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा प्रदान करना।

सतत विकास –

– पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए हरित विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

– मजबूत बुनियादी ढाँचा आधुनिक सड़कों, रेल, बंदरगाहों और स्मार्ट शहरों का विकास करना।

– आसान व्यवसाय डेड और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना।

युवा सशक्तिकरण –

स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

स्वदेशी को प्रोत्साहन –

स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना।

किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना –

कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना, ताकि किसानों का जीवन सुखमय और खुशहाल हो सके व अपने जीवन में विकास की ओर अग्रसर हो सकें।

शासन को मजबूत करना –

शासन को मजबूत करना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

पर्यावरणीय स्थिरता –

सतत विकास और हरित विकास पर जोर देना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना।

संक्षेप में विकसित भारत @ 2047 का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है बल्कि एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सभी नागरिक समृद्ध और खुशहाल हों, और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके।

संदर्भ सूची –

डॉ. सीताराम जायसवाल, द्वारा लिखित पुस्तक शिक्षा का सामाजिक आधार

वंशी सिंह और भूदेव शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक स्वतन्त्र भारत में शिक्षा की प्रगति

डा. मालती सारस्वत और प्रो एस.एल.गौला द्वारा लिखित पुस्तक

डा. एल. बी. बाजपेयी द्वारा लिखित पुस्तक भारत शिक्षा का विकास एवं सामाजिक प्रवृतियाँ

पवन के वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक बीइंग इंडियन

इनसाइड द रियल इंडिया

निक्की ग्रिहौल्ट द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया कल्चर

स्मार्ट क्विक गाइड टु कस्टम्स एंड एटिकेट